

हेमराज जाति रबारी, निवासी गंगासरिया,
सेड़वा, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण


1. जोगाराम पुत्र द्वारकाराम
2. जोगाराम पुत्र पदमाराम
3. नरसीराम पुत्र पदमाराम
4. नागजी पुत्र उकाराम
5. पीथाराम पुत्र हेमराज
6. भूपाराम पुत्र उकाराम
7. मफीदेवी पत्नि द्वारकाराम
8. वलियादेवी पत्नि पदमाराम जाति रबारी, निवासी गंगासरिया, तहसील सेड़वा, बाड़मेर
9. सहायक अभियन्ता, जोधपूर विद्युत वितरण निगम लि. फागलिया, तहसील सेड़वा
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति फागलिया
11. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेड़वा
12. शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
13. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा साता
14. तहसीलदार, साहब सेड़वा जिला बाड़मेर
15. उपपंजीयक, फागलिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 39/2024

31/5/24 प्रार्थी शंकर पुत्र हेमराज जाति रबारी, निवासी गंगासरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा गंगासरिया पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ.नि. बाखासर के खसरा सं. 143 रकबा 30.9341 हैक्टेयर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 9.1783 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। अधिवक्ता ने अपनी बंहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा गंगासरिया पटवार क्षेत्र भंवरिया भू.अ.नि. बाखासर के खसरा सं. 143 रकबा 30.9341 हैक्टेयर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा संख्या 201 रकबा 9.1783 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त भूमि पर खड़े वर्षों पुराने माठ, बाड़ व मांठों में रदो-बदल, छेड़-छाड़ नहीं करें तथा न ही मांठों को काटे तथा प्रार्थी को बेदखल कर कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थी के खेत में अप्रार्थीगण जबरन प्रवेश नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 31/05/24 को पेश हो।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

31/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मान
तामिल। अहम तामिल अपात। इंतजार होकर पत्रावली अर्द्धा
दिनांक 06/06/2024 को पेश हो।

6/6/24 फावली पेश हुई। वकील गार्थी उपस्थित। फावली
पूर्व भादश की पानजा में भादश दिनांक 08/07/24
को पेश हो।




01/07/24 फावली पेश हुई। वकील गार्थी व गार्थी स्वयं उप।
वकील गार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते फावली तल्ल
करने तल्ल पेश कर निवेदन किया कि फावली
आज पेशी तारीख पर ली जावे। वकील गार्थी
के प्रार्थना पत्र पर फावली आज पेशी तारीख
पर ली गई। वकील गार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते
आवेदन विद्दा करने तल्ल निवेदन किया कि उक्त
अनवान उकरण में हम पक्षकारों के मध्य लोक
अदालत की भावना से तदंगस्त भारती के
भापसी सहायि से सुनूह हो गया है। अत
उक्त भारती का हमारे विवाद नही रहने से
मूल आवेदन में गार्थी कोई कार्यवाही नही
चाहता है। इसलिए उक्त आवेदन को अपने
स्वेच्छा से विद्दा करना चाहता है।

अतः गार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
को न्यायस्थ में स्वीकार किया जाकर उक्त
अनवान के आवेदन को जरिये राजीनामा विद्दा
किया जाता है। फावली नैसल गुमार होकर
हाथिल हप्तर हो। संख्या से एक कम हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) सेवका

नि०शं०



पहचानकर्ता
श्री. श्री. श्री.
द. श्री.

24
सेवामें
presented by